



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 164-2020/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, NOVEMBER 3, 2020 (KARTIKA 12, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 नवम्बर, 2020

संख्या 19293.— हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) की धारा 24 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या Misc-2218-II/2019/20083, दिनांक 20 अगस्त, 2019 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- (1) ये नियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (तृतीय संशोधन) नियम, 2020 कहे जा सकते हैं।
(2) ये नियम 28 अप्रैल, 2020 से लागू हुए समझे जाएंगे।
- हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976, में नियम 13 में, खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(i) निदेशक के पक्ष में अनुज्ञप्ति नवीकरण को ऑनलाइन जमा फीस की धनराशि निम्नलिखित विनिर्दिष्ट दरों पर संगणित की जाएगी, अर्थात् :-

क प्लाटिड उपनिवेश हेतु

क्रम संख्या	नवीकरण अवधि (वर्षों में)	अनुज्ञप्ति, जहां अनुज्ञप्ति प्राप्त क्षेत्र के भाग के लिए समापन प्रमाणपत्र, नियम 16 के अधीन जारी नहीं किया गया है । (नवीकरण के लिए आवेदन की तिथि को यथा अभिभावी नियम 3 में विहित अनुज्ञप्ति फीस की प्रतिशतता)	अनुज्ञप्ति, जहां अनुज्ञप्ति प्राप्त क्षेत्र के भाग के लिए समापन प्रमाणपत्र नियम 16 के अधीन जारी किया गया है । (आंशिक समापन प्रमाणपत्र प्रदान करते समय अभिभावी दरों के अनुसार नियम 3 में विहित फीस की प्रतिशतता उस क्षेत्र के लिए उद्गृहीत की जाएगी, जिसके लिए आंशिक समापन प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है, जबकि शेष क्षेत्र के लिए खाना (iii) में यथा वर्णित विहित फीस उद्गृहीत की जाएगी)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1	1	4 प्रतिशत	1 प्रतिशत
2	2	7 प्रतिशत	2 प्रतिशत
3	3	9 प्रतिशत	2.5 प्रतिशत
4	4 या 5 वर्ष	12 प्रतिशत	3.5 प्रतिशत

ख. ग्रुप हाउसिंग, वाणिज्यिक, आईटी/आईटीईएस, मिश्रित भूमि उपयोग उपनिवेशों हेतु

क्रम संख्या	नवीकरण अवधि (वर्षों में)	अनुज्ञप्ति, जहां अनुज्ञप्ति प्राप्त क्षेत्र के भाग के लिए अधिभोग प्रमाणपत्र, हरियाणा भवन संहिता, 2017 के पैरा 4.1 के अनुसार जारी नहीं किया गया है । (नवीकरण के लिए आवेदन की तिथि को यथा अभिभावी नियम 3 में विहित अनुज्ञप्ति फीस की प्रतिशतता)	अनुज्ञप्ति, जहां अनुज्ञप्ति प्राप्त क्षेत्र के भाग के लिए अधिभोग प्रमाणपत्र, हरियाणा भवन संहिता, 2017 के पैरा 4.1 के अनुसार जारी किया गया है । (आंशिक अधिभोग प्रमाणपत्र प्रदान करते समय अभिभावी दरों के अनुसार नियम 3 में विहित फीस की प्रतिशतता, फर्श क्षेत्र अनुपात के लिए ऐसे अनुपातिक भूमि क्षेत्र, जिसके लिए उपनिवेश में अधिकतम अनुमत फर्श क्षेत्र अनुपात की तुलना में आंशिक अधिभोग प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है, के लिए उद्गृहीत की जाएगी, जबकि शेष क्षेत्र के लिए खाना (iii) में यथा वर्णित विहित फीस उद्गृहीत की जाएगी)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1	1	4 प्रतिशत	1 प्रतिशत
2	2	7 प्रतिशत	2 प्रतिशत
3	3	9 प्रतिशत	2.5 प्रतिशत
4	4 या 5 वर्ष	12 प्रतिशत	3.5 प्रतिशत

परन्तु अनुज्ञप्तियों के सभी ऐसे नवीकरण, जो 31 जनवरी, 2019 से 27 अप्रैल, 2020 तक की अवधि के दौरान अपेक्षित हो गए हैं, को पांच वर्ष की नवीकरण अवधि के सामने यथा उपदर्शित उपरोक्त दरें लागू होंगी। यह अधिसूचना सरकार की U.O No. 9/44/2020-2Cabinet दिनांक 31.01.2020 द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुरूप है।

ए. के. सिंह,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 3rd November, 2020

No. 19293.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 24 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975) and with reference to Haryana Government, Town and Country Planning Department, Notification No. Misc-2218-II/2019/20083, dated the 20th August, 2019, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976 namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Third Amendment) Rules, 2020.

(2) These rules shall deemed to have come into force with effect from the 28th April, 2020.

2. In the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976, in rule 13, for clause (i), the following clause shall be substituted namely:-

(i) Online deposit of licence renewal fees, in favour of Director, for a sum calculated at the rates prescribed as follows, namely:-

A For plotted colony

Serial number	Renewal period (in years)	Licence where completion certificate for part of the licenced area has not been issued under rule 16. (percentage of the licence fee prescribed in rule 3 as prevailing on the date of application for renewal)	Licence where completion certificate for part of the licenced area has been issued under Rule 16. (percentage of the fee prescribed in rule 3 as per the prevailing rates at the time of grant of part completion certificate, shall be levied on area for which the part completion certificate is granted, whereas for remaining area the prescribed fee as mentioned in column (iii) shall be levied)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1	1	4%	1%
2	2	7%	2%
3	3	9%	2.5%
4	4 or 5	12%	3.5%

B For Group Housing, Commercial, IT/ITes, Mixed Land Use colonies

Serial Number	Renewal period (in years)	Licence where Occupation certificate for part of the licenced area has not been issued as per para 4.1 of Haryana Building Code, 2017. (percentage of the licence fee prescribed in rule 3 as prevailing on the date of application for renewal)	Licence where Occupation certificate for part of the licenced area has been issued as per para 4.1 of Haryana Building Code, 2017. (percentage of the fee prescribed in rule 3 as per the prevailing rates at the time of grant of part occupation certificate, shall be levied on such proportionate land area against the FAR for which the part occupation certificate is granted vis-à-vis maximum permissible FAR in the colony, whereas for remaining area the prescribed fee as mentioned in column (iii) shall be levied)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1	1	4%	1%
2	2	7%	2%
3	3	9%	2.5%
4	4 or 5	12%	3.5%

Provided that all such renewal of licences that have become due during the period from 31st January, 2019 to 27th April, 2020, the above rates, as indicated against renewal period of five years shall be applicable.”

This is issued as per approval of Government *vide* UO No. 9/44/2020-2Cabinet dated 31.01.2020.

A. K. SINGH,
Principal Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department.